मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 129वीं बैठक दिनांक 04.09.2008 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थानः किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
बैठक का समयः मध्यान्ह 12.00 बजे।

उपस्थिति

1.	श्री इन्द्रजीत सरोज, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष	श्री इन्द्रजीत सरोज, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
2.	श्री विजय बहादुर कुशवाहा मा0 उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष	श्री विजय बहादुर कुशवाहा मा0 उपाध्यक्ष
3	श्री विद्रोही धनपति राम मौर्य, मा0 उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष	श्री विद्रोही धनपति राम मौर्य, मा0 उपाध्यक्ष
4	सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री अरूण कुमार सिन्हा सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
5	प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0 शासन, लखऊ।	प्रतिनिधि	श्री दीपक त्रिवेदी, आयुक्त, खाद्य विभाग
6	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री शिव प्रकाश, विशेष सचिव, वित्त विभाग
7	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	प्रतिनिधि	श्री एन0के0 द्विवेदी, विशेष सचिव, कृषि विभाग,
8	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव संयुक्त निदेशक (प्लानिंग) कृषि निदेशालय
9	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री धीरेन्द्र सिंह अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।
10	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, लखनऊ	प्रतिनिधि	डा0 एस0के0 चौहान, नोडल अधिकारी उद्यान विभाग
11	कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नई दिल्ली।	प्रतिनिधि	श्री शफीक अहमद, सहायक, कृषि विपणन सलाहकार
12	निदेशक कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य	श्री राजेश कुमार सिंह, निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार,
13	श्री राजेश कुमार सिंह, सदस्य एवं सचिव	सदस्य/ सचिव	श्री राजेश कुमार सिंह सदस्य एवं सचिव

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही/निर्णय
1	मा0 परिषद की 128वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।	कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

2	मा0 परिषद की 128वीं बैठक की अनुपालन आख्या।	मा0 परिषद की 128वीं बैठक की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। क्रमांक 06 पर अनुपालन आख्या समीचीन प्रतीत नहीं हुई। अतः अनुपालन आख्या के शुद्धि पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये।
3	मण्डी समिति की आय से सम्बन्धित प्रगति का प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा मण्डी समिति की आय की प्रगति अवलोकित की गयी। अवगत कराया गया कि जुलाई एवं अगस्त 08 में 25 प्रतिशत अधिक आय अर्जित की गयी है।
4	इलेक्ट्रानिक वे–ब्रिजेज की आपूर्ति/ स्थापना/ कमीशनिंग/ तीन वर्ष तक संचालन तथा कम्प्रेन्सिव मेन्टीनेन्स के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा इलेक्ट्रानिक वे–ब्रिजेज की आपूर्ति/ स्थापना/ कमीशनिंग/ तीन वर्ष तक संचालन तथा कम्प्रेन्सिव मेन्टीनेन्स के सम्बन्ध में मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि 125वीं बैठक दिनांक 13.12.07 में लिये गये निर्णय के क्रम में यदि सम्बन्धित कम्पनी/ फर्म आपूर्ति/ स्थापना तथा संचालन के लिये तैयार है तो उसे पाइलट बेसिस पर कानपुर मण्डी में शुरू किया जाय तथा निविदा आमंत्रित कर अग्रिम कार्यवाही की जाय।
5	मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों की निविदा की सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में प्रस्ताव।	निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि उप निदेशक निर्माण द्वारा बैठकों में शिडयूल रेट बढ़ने के कारण पंजीकृत ठेकेदारों की निविदा की सीमा बढ़ाये जाने का प्रकरण उठाया गया था। लोक निर्माण विभाग द्वारा यह सीमा पहले ही बढ़ायी जा चुकी है जिसके क्रम में पंजीकृत ठेकेदारों की निविदा की सीमा बढ़ायी गयी है जिसे मा0 संचालक मण्डल द्वारा अवलोकित किया गया।
6	प्रदेश के सब्जी उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान कराने हेतु आई0आई0एम0, अहमदाबाद के सहयोग से लखनऊ में पायलट परियोजना लागू किये जाने विषयक प्रस्ताव।	निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि सब्जी में लगभग 30 प्रतिशत नुकसान हो जाता है। मांग एवं आपूर्ति को बराबर करने हेतु यह योजना बनायी गयी है तथा बिचौलियों की भूमिका को कम किया गया है। इस योजना से किसान तथा उपभोक्ता सीधे जुड़ेंगे, अवैध व्यापार रूकेगा तथा मण्डी शुल्क में बढ़ोत्तरी भी होगी। मा0 संचालक मण्डल द्वारा आई0आई0एम0, अहमदाबाद के सहयोग से लखनऊ में पायलट परियोजना को लखनऊ में शुरू करने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया किया गया कि इसके सफल क्रियान्वयन हेतु मापदण्ड सिद्धान्त निर्धारित कर दिया जाय और इनकी प्राप्ति का आंकलन करते हुए इम्पेक्ट एसेसमेन्ट किया जाय।
7	"उ0प्र0 पोटैटो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सोसायटी" के अर्न्तगत अनुमन्य अनुदान में सशोधन एवं वैधता अवधि बढाये जाने विषयक प्रस्ताव।	निदेशक द्वारा बताया गया कि आलू का उत्पादन पूरे देश में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लगभग 125 लाख टन होता है जबकि खपत मात्र 50–60 लाख टन है। हमें निर्यात में बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पायी है इसे अधिक बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। ताज ब्राण्ड आलू के निर्यात हेतु ब्राण्ड प्रमोशन (अनुदान) हेतु मा0 संचालक मण्डल द्वारा निम्न निर्णय लिया गया– 1. अनुमन्य अनुदान (इनलैण्ड फ्रेन्ट सब्सिडी) (परिवहन अनुदान) रू0 1.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर के स्थान पर रू0 1.50 प्रति कि0ग्रा0 दिया जाय।

		2. ब्राण्ड प्रमोशन सब्सिडी (ब्राण्ड प्रमोशन अनुदान) 25 पैसे प्रति कि0ग्रा0 की दर के स्थान पर 50 पैसे प्रति कि0ग्रा0 दिया जाय। 3. आलू निर्यात को बढ़ावा दिये जाने हेतु जो सुविधा आलू उत्पादक निर्यातक सदस्य को प्रदान की जा रही है वही सुविधा आलू निर्यातक को भी प्रदान की गयी। 4. उ0प्र0 पोटैटो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सोसायटी के अन्तर्गत वैधता अवधि तीन वर्ष के लिए अर्थात दिनांक 24.10.2011 तक बढ़ायी गयी। 5. मण्डी समितियों को निर्देश दिये जाय कि जिले में इस फैसिलिटेशन सोसाइटी से किसानों को और अधिक संख्या में जोड़ा जाय।
8	पुष्प मंडी नोयडा हेतु दुकान आवंटन नियमावली एवं रीफर वैन के क्रय के संबंध में विचार।	पुष्प मंडी नोयडा हेतु दुकान आवंटन नियमावली प्रस्ताव का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि प्रश्नगत नियमावली को विधिवत विधिक्षण कराकर अंगीकृत किया जाए। रीफर वैन के क्रय के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इसे आऊट सोर्सिंग के माध्यम से कराया जाय। यदि उसकी उपलब्धता नहीं होती है तो पुनः प्रस्ताव मा0 संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
9	प्रदेश की विनियमित मण्डी समितियों के नवीन मण्डी स्थलों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि मण्डी स्थलों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना किये जाने का औचित्य नहीं है तथा भविष्य में किसी मण्डी विशेष को इसकी आवश्यकता अवश्यमभावी प्रतीत हो तो गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाय।
10	दुकानों की उच्च मॉग वाली मण्डी समितियों में नवनिर्मित दुकानों के किराया निर्धारण की प्रक्रिया के सरलीकरण का प्रस्ताव।	नवनिर्मित दुकानों के किराया निर्धारण के सम्बन्ध में मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि जहॉ से जिलाधिकारी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है उनका अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इसे नयी दुकानों/ नये मण्डी स्थलों के लिए नजीर न माना जाय। भविष्य में दुकानों के आवन्टन हेतु कम से कम तीन बार आवन्टन की कार्यवाही की जाय यदि फिर भी उनका आवन्टन नहीं हो पाता है तो जिलाधिकारी की संस्तुति के साथ मण्डी परिषद मुख्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।
11	दुकान आवंटन हेतु मण्डी शुल्क/ टर्न ओवर के निर्धारित मानक की सीमा में परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति के क्रम में Ratification के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
12	कृषक एवं मजदूर कृषक हेतु "कन्या विवाह सहायता योजना" का प्रस्ताव।	कृषक एवं मजदूर कृषक हेतु "कन्या विवाह सहायता योजना" के प्रस्ताव से सहमत होते हुए निर्णय लिया गया कि तद्नुसार प्रस्ताव शासन को संचालक मण्डल की संस्तुति के साथ प्रेषित किया जाए।
13	लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा मजदूर कृषकों को 'कृषि कार्य हेतु आर्थिक	लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा मजदूर कृषकों को 'कृषि कार्य हेतु आर्थिक सहायता योजना" के प्रस्ताव से सहमत होते हुए

	सहायता योजना" का प्रस्ताव।	निर्णय लिया गया कि तद्नुसार प्रस्ताव शासन को संचालक मण्डल की संस्तुति के साथ प्रेषित किया जाए।
14	मा0 अध्यक्ष मण्डी परिषद विवेकाधीन कोष नियमावली का प्रस्ताव।	अध्यक्ष, मण्डी परिषद विवेकाधीन कोष नियमावली के प्रस्ताव से सहमत होते हुए यह निर्णय लिया गया कि उक्त योजना को अध्यक्ष, मण्डी परिषद विवेकाधीन सहायता योजना के नाम से प्रस्ताव को शासन को संचालक मण्डल की संस्तुति के साथ प्रेषित किया जाए।
15	कृषक उपहार योजना विषयक प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि राइस ट्रान्स प्लान्टर/ पावर ट्रिलर दोनों को उपहारों में रखा जाय तथा कृषकों की मांग के अनुसार उन्हें उपलब्ध करा दिया जाय।
16	विकलांगजन के चिन्हित पदों के बैकलाग को पूर्ण किये जाने के सम्बध में प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
17	वर्ष 2003 की बैकलाग भर्ती प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची में रखे गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि बैकलाग भर्ती प्रक्रिया की प्रतीक्षा सूची को समस्त तथ्यों सहित मामला शासन को सन्दर्भित कर दिया जाय तथा शासन के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
18	मण्डी समिति सेवा के लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति में कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अनिवार्यता सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा विनियमावली में परिवर्तन/ संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अनिवार्यता नई नियुक्तियों पर लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
19	मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में तदर्थ/ गैर नियमित रूप से कार्यरत कार्मिकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
20	मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों के अवशेष पदों के दिनांक 01.01.96 से प्रभावी की गयी वेतन पुनरीक्षण सुविधा के कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव।	मण्डी परिषद एवं मण्डी समिति के अवशेष पदों हेतु कर्मचारियों से तीन माह में विकल्प मांगे गये है जिसका मा0 संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>अन्य प्रस्ताव – मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से–</u>

1	किसान मण्डी भवन में पूर्व स्थापित 300 टन क्षमता के ब्ल्यू स्टार मेक वातानुकूलन संयंत्र के डिस्मेन्टलिंग के उपरान्त 300 टन क्षमता के स्क्रू वाटर चिलिंग यूनिट (सेन्ट्रल वातानुकूलन संयंत्र) ट्रेन यू.एस.ए. मेक कूलिंग टावर एवं तत्सम्बन्धी अन्य सामग्रियों की आपूर्ति एवं स्थापना सम्बन्धी कार्य का प्रस्ताव।	अवगत कराया गया कि किसान मण्डी भवन में 680 टन क्षमता के तीन वातानुकूलित प्लान्ट स्थापित है जिसमें से 300 टन (एक) गैस आर–11, 300 टन (एक) गैस आर–12 तथा 80 टन (एक) आर–22 से संचालित किये जाते हैं। गैस आर–11 तथा गैस आर–12 प्रतिबन्धित होने के कारण पूर्व स्थापित 300 टन (एक) वातानुकूलित संयंत्र मय उपकरण सहित स्थापित करने का निर्णय मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि यह समस्त कार्यवाही निविदा के माध्यम से की जायेगी।
2	उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र नीति, 2007 (भाग–2) के प्रस्तर–3 (1) 1 के प्राविधानों के अनुसार मण्डी शुल्क एवं	विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से उ0प्र0 विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (संशोधित) नीति 2007 को अंगीकृत करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। तदनुसार मा0 संचालक

	विकास सेस में छूट दिए जाने पर विचार।	मण्डल की संस्तुति को शासन को प्रेषित किया जाए।
3	मण्डी क्षेत्र प्रतापगढ़ के क्षेत्रान्तर्गत तहसील मुख्यालय पट्टी में उपमण्डी स्थल घोषित कराये जाने पर विचार।	जनपद प्रतापगढ़ के तहसील मुख्यालय पट्टी में उप मण्डी स्थल घोषित किये जाने के निर्धारित मानक में शिथिलीकरण के प्रस्ताव का मा0 संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। तद्नुसार पट्टी को उप मण्डी स्थल घोषित कराये जाने की कार्यवाही की जाय। मा0 संचालक मण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि समस्त मण्डियों का मानक प्रस्तुत किया जाय तथा जहां पर मण्डी स्थल निर्मित नहीं हैं वहां प्राथमिकता के आधार पर भूमि प्राप्त कर निर्मित कराया जाय।
4	अपना बाजार विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ की दुकान आवंटन के वर्तमान नियमों में शिथिलता प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा पिछली बैठकों में लिये गये निर्णयों के क्रम में "अपना बाजार" की दुकानों के आवन्टन सम्बन्धी विनियमावली–2008 के वर्तमान नियमों में शिथिलता हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा आवन्टी को नीलामी की धनराशि के अवशेष भुगतान हेतु 02 वर्ष के अन्दर 08 समान किश्तों में जमा किये जाने का निर्णय लिया गया।
5	मण्डी समितियों के क्षेत्रान्तर्गत निर्मित कराये जाने वाले सम्पर्क मार्गों के साथ निर्माणकर्ता ठेकेदार से सम्पर्क मार्गों का अनुरक्षण तीन वर्षों के स्थान पर छः माह किये जाने का प्रस्ताव।	अवगत कराया गया कि मण्डी परिषद में सिक्योरिटी मनी वापस करने की सीमा तथा सम्पर्क मार्गो के अनुरक्षण की सीमा तीन साल होने के कारण ठेकेदारों द्वारा निविदा लेने अथवा डालने में रूचि नहीं ली जा रही हैं। अतः सम्यक विचारोपरान्त मा0 संचालक मण्डल द्वारा लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नियमों को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया ताकि पंजीकृत ठेकेदारों में अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा हो तथा अधिक से अधिक पंजीकृत ठेकेदार निविदाओं के आमंत्रण में भाग लें।
6	डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 (द्वितीय चरण) में जनपद जालौन हेतु चयनित अम्बेडकर ग्राम सभा खरका के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग "खरका ददरी मार्ग से कुरौना" जिसकी लम्बाई 5.30 किमी है, के निर्माण हेतु प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
7	मण्डी समितियों के परिसर के अन्दर लाइसेंसियों हेतु निर्मित दुकानों व मण्डी परिसर से लगे किसान बाजार की दुकानों के आवंटन में विकलांगजन को निर्धारित न्यूनतम मूल्य (प्रीमियम) 20 प्रतिशत एवं किराये में विकलांग के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव।	दुकानों के आवंटन में विकलांगजन को निर्धारित न्यूनतम मूल्य (प्रीमियम) 20 प्रतिशत एवं किराये में विकलांग के लिए 50 प्रतिशत छूट दिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
8	व्यापारिक परिव्यय की दरों में संशोधन का प्रस्ताव।	व्यापारिक परिव्यय की दरों में संशोधन के प्रस्ताव पर मा0 संचालक मण्डल द्वारा सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस पर विधिक परीक्षण कराते हुए कार्यवाही करने हेतु निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0 को अधिकृत किया गया।

9	डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 (प्रथम चरण) में निर्माण खण्ड बस्ती के अन्तर्गत तीन जनपदों में नेपाल राष्ट् की बढनी एव बुटवल खदानों के बन्द होने से आपूर्ति न हो पाने के कारण शंकरगढ एवं डाला पत्थर/ गिट्टी आपूर्ति करने हेतु प्रस्ताव।	प्रस्ताव अवलोकित/ अनुमोदित किया गया।
10	शासनादेश संख्या– 4890/ 12–5–90–600 (108)– 88 दिनांक 28 दिसम्बर 1990 के अनुसार अंशदान की दरों में संशोधन का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन को संस्तुति सहित प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डी समिति की आवश्यकताओं का आंकलन करते हुए कमजोर मण्डी समितियों को (अधिष्ठान/ यात्रा भत्ता/ रख–रखाव/ सफाई आदि) खर्चो के लिए मण्डी विकास निधि से उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की धारा–26 तत की उपधारा (6) के अनुसार अनुदान के रूप में दिया जाय।

(राजेश कुमार सिंह)
निदेशक
सदस्य/सचिव

अनुमोदित

(इन्द्रजीत सरोज)
अध्यक्ष, मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश